

अचल संपत्ति का विवरण वर्ष 2019
अधिकारी/कर्मचारी की सूची

क्र.	नाम	पदनाम
1.	श्री अनंत पटवर्धन	सहायक सलाहकार
2.	श्री डी.एस.रावत	शीघ्रलेखक श्रेणी-1
3.	श्री संजय दुर्गे	शीघ्रलेखक श्रेणी-2
4.	श्री अनीष गजभिये	शीघ्रलेखक श्रेणी-3
5.	श्री आशीष कुमार सोनी	शीघ्रलेखक श्रेणी-3
6.	श्री आर.के.गौतम	सहा.सां.अधिकारी
7.	श्री शिवम कुमार कंधरिया	सहा.सां.अधिकारी
8.	डॉ.हेमन्त सिंह	अन्वेषक
9.	श्री योगराज कोसे	सहायक श्रेणी-1
10.	श्री हेमन्त अजानिया	लेखापाल
11.	श्री बी.एस.बिष्ट	सहायक श्रेणी-2
12.	श्रीमती रखिंदा अली	सहायक श्रेणी-2
13.	श्री रघुवीर राम	सहायक श्रेणी-2
14.	श्री एस.एन.शर्मा	सहायक श्रेणी-3
15.	श्री गौरव कुशवाह	सहायक श्रेणी-3
16.	श्री केशव चौधरी	सहायक श्रेणी-3
17.	श्री रवि सोनी	सहायक श्रेणी-3
18.	श्री सुनील पाल	वाहन चालक
19.	श्री मांगीलाल व्यास	दफ्तरी
20.	श्री राम बाबु	भृत्य
21.	श्री सहवीर राम	भृत्य
22.	श्री पूरन सिंह	भृत्य
23.	श्री रामकलेश सेन	भृत्य
24.	श्री रफीक खान	भृत्य
25.	श्री कैलाश नारायण	भृत्य
26.	श्री रेवाराम बागड़े	भृत्य
27.	श्री जमाल खान	भृत्य
28.	श्री बलराम	स्वीपर

:: फार्मः

प्रथम नियुक्ति के समय से सम्पत्ति का विवरण दिसम्बर वर्ष 2019

1. अधिकारी का नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो : अनंत पटवर्धन सहायक सलाहकार (IT) द्वितीय श्रेणी राजपत्रित अस्थायी सेवा
 2. वर्तमान धारित पद : सहायक सलाहकार (IT) (मूल पद प्रोग्रामर DES प्रतिनियुक्ति पर राज्य योजना आयोग में कार्यरत)
 3. वर्तमान वेतन : Rs. 82400.00/- (मूल वेतन) कुल वेतन : Rs.95264.00

अगली वेतनवृद्धि की तारीख 1 जुलाई 2020

उस जिले, उप संभाग , तालुका तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्योरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है उसका शासकीय सेवक से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ... खरोद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गयी हो उसका नाम तथा ब्योरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1	2	3	4	5	6	7	8
ग्राम महाबड़िया, हुजुर तहसील, जिला भोपाल, कोलार रोड भोपाल	Fortune Soumya Housing के Tulp Greens Campus में मकान नं. H-16, 1050 वर्ग फीट (97.58 वर्ग मी.) प्लॉट पर स्वतंत्र डुप्लेक्स भवन (Total Constructed Area 118.64 Sq. Mt)।	कालम 2 में भवन के साथ दर्शायी गयी है।	Sale Deed Sale Consideration Rs. 40,10,600/- Total Stamps : 245,649/-	मेरी माताजी श्रीमती आशा पटवर्धन के देहान्त के पश्चात इस सम्पत्ति का नामांकन मेरे नाम पर हो गया है E-Nomination No. : MP059702018 A1028747 Dtd 12-01-2018	मेरी माता जी द्वारा ग्वालियर में स्थित स्वयं के पुराने मकान को बेच कर स्वयं के तथा मेरे नाम पर, Fortune Soumya Housing के माध्यम से मकान नं. H - 16, Tulp Greens Campus में खरीदा गया था। E-RegistrationNo.: MP-059702016A-1178529 Dtd :26/03/2016, Office Name: SRO Bhopal-2	--- निरंक --- (भवन का हस्तांतरण मुझे Fortune Soumya Housing के द्वारा कर दिया गया है)	--- निरंक ---
ग्राम दामखेडा, हुजुर तहसील, जिला भोपाल, कोलार रोड भोपाल	शालीमार गार्डन Campus में मकान नं. E-3, 1060 वर्ग फीट प्लॉट पर स्वतंत्र डुप्लेक्स भवन (Total Constructed Area 118.64 Sq. Mt)।	कालम 2 में भवन के साथ दर्शायी गयी है।	Sale Deed Sale Consideration Rs. 7,75,600/- Total Stamps :	मेरी माताजी श्रीमती आशा पटवर्धन के देहान्त के पश्चात इस सम्पत्ति का नामांकन मेरे पिता श्री भास्कर गोपाल पटवर्धन व मेरे नाम पर संयुक्त रूप में हो गया है E-Nomination No. : MP059702018 A1028776	यह सम्पत्ति मेरे माता व पिता द्वारा वर्ष 2002-03 में शालीमार बिल्डर से खरीदी गयी थी। E-Nomination No. : MP059702018 A1028776	--- निरंक --- मेरे पिता श्री भास्कर गोपाल पटवर्धन मेरे साथ इस भवन में निवास कर रहे हैं।	--- निरंक ---

- जहां लागू न हो काट दीजिये।
- ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
- इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

A. Patwardhan
28-12-19

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2019

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो : दरपान सिंह रावत

2. वर्तमान धारित पद : शीघ्रलेखक श्रेणी-1

3. वर्तमान वेतन : रु. 82,400/-

अगली वेतन वृद्धि की तारीख : जुलाई, 2020

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. त्रिभुवन, ग्राम--सलैया, तहसील हुजूर, भोपाल	—	आवासीय भूखण्ड 105.00 वर्गमीटर	वर्तमान मूल्य ज्ञात नहीं (क्रय मूल्य रु. 7,34,500)	स्वयं के एवं पत्नी के नाम पर.	खरीदा गया है. दिसम्बर 2010 में शुभालय ब्लिडर, भोपाल.	--निल--	--
2. डुपलेक्स, एफ-30, प्राइड सिटी फेस-2, ग्राम कटारा, तहसील हुजूर, भोपाल	डुपलेक्स	979.16 वर्गमीटर	वर्तमान मूल्य ज्ञात नहीं. (क्रय मूल्य रु.38,75,000)	स्वयं, पत्नी एवं पुत्र (विपिन सिंह) के नाम पर.	खरीदा गया है. अक्टूबर, 2015 में बालाजी मेगा वेंचर्स फेस-2, भोपाल	--निल--	जनवरी 2019 में अधिपत्य लिया.

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी: मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के शनियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समय अचल सम्पत्ति के ब्यारे दे।

हस्ताक्षर :



नाम : दरपान सिंह रावत

पद : शीघ्रलेखक श्रेणी-1

विभाग : राज्य योजना आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल

दिनांक : 01 जनवरी, 2020

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2019

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो : शिपर गुप्त
2. वर्तमान धारित पद: शिपर गुप्त - 2
3. वर्तमान वेतन 63600/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख : 1/7/2020

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरोद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
झोपला	① 4खैर 101 झोपला अध्यापक श्री. शिपर गुप्त मो. 911215 मो. 911215	—	12.00 लाख	—	2015 लेख 2015	अरि	—
	② 4खैर 124 झोपला E. E. C. म. ए. व. धार मो. 911215	—	23 लाख	—	2015 लेख 2015	अरि	—

* जहां लागू न हो काट दीजिए ।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए ।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं ।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें यह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर भी उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरे दें

हस्ताक्षर.....

नाम शिपर गुप्त

पद: शिपर गुप्त - 2

शिपर गुप्त
म. 911215

258

:: फार्म ::

दिसम्बर 2019.

4

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2019

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो : अजीष राजश्रिये - श्री छलेखक श्रेणी - III (निज सहायक)
2. वर्तमान धारित पद : श्री छलेखक श्रेणी III
3. वर्तमान वेतन 30500 (7th Pay) अगली वेतनवृद्धि की तारीख : 01/01/2020

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरोद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
निरंक	निरंक	निरंक			निरंक		

* जहां लागू न हो काट दीजिए ।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए ।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं ।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें यह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर भी उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरे दें

हस्ताक्षर.....

नाम अजीष राजश्रिये


पद : श्री छलेखक श्रेणी III

:: फार्म ::

प्रथम नियुक्ति के समय से अचल सम्पत्ति का विवरण वर्ष, दिसम्बर 2019

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो : आशीष कुमार सोनी, राज्य योजना आयोग, मध्यप्रदेश
2. वर्तमान धारित पद : शीघ्रलेखक श्रेणी-3
3. वर्तमान वेतन : 30,500 + डी.ए. अगली वेतनवृद्धि की तारीख : जनवरी 2020

उस जिले, उपसंभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया, **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे वह अर्जित की गई हो, उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1	2	3	4	5	6	7	8
ग्राम खैरा, हल्का मझगवां, तह. रघुराजनगर, जिला सतना	-	खसरा नंबर 3/1/1/ख/1/क/9 0.010 हे. प्लॉट (25x47=1175 Sqft)	लगभग 4 लाख	स्वयं के नाम पर	मार्च 2014 में क्रय किया गया गया।	निरंक	भारतीय स्टेट बैंक, सतना पर्सनल लोन लेकर क्रय किया

हस्ताक्षर 
 नाम - आशीष कुमार सोनी
 पद - शीघ्रलेखक श्रेणी-3

:: फार्म ::

दिसम्बर 2019.

6


प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2019

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो : राज कमल गोतम, तृतीय श्रेणी-कार्यपालिक
2. वर्तमान धारित पद: सहायक सांख्यिकी अधिकारी
3. वर्तमान वेतन 71100/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख : जुलाई, 2020

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खरोद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
भोपाल	प्लेट क्रमांक 10 राज विहार - 1 एच.आई.जी. - 2 सेक्टर - ए सोनागिरि	निरंक	लगभग 18,00,000	स्वयं के नाम पर	एच.डी.एफ.सी. लिमिटेड बैंक क्र. 333387 रु. 4.85 लाख 25.04.2008 शेष भविष्य निधि एवं स्वयं की बचत से।	निरंक	

- * जहां लागू न हो काट दीजिए।
- ** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
- *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर श्री उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें

हस्ताक्षर: 
नाम राज कमल गोतम
पद: सहायक सांख्यिकी अधिकारी
27/12/19

258

:: फार्म ::

दिसम्बर 2019.

(7) (8)

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2019

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो : शिवम कुमार अशरिया
2. वर्तमान धारित पद: सहायक सार्वजनिक अधिकारी
3. वर्तमान वेतन 39600/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख : 01/07/2020

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरोद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<i>रिक्त</i>							

- * जहां लागू न हो काट दीजिए ।
- ** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए ।
- *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं ।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें यह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर भी उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरे दें

हस्ताक्षर.....
 नाम शिवम कुमार अशरिया
 पद : सहायक सार्वजनिक अधिकारी

250

:: फार्म ::

दिसम्बर 2019

25

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2019

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पुरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो : हेमन्त सिंह, कार्यपालक लेवा, शम्शेरगंवा
2. वर्तमान धारित पद: अन्वेषक
3. वर्तमान वेतन 33300 अगली वेतनवृद्धि की तारीख : 01/07/2020

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरोद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	—

* जहां लागू न हो काट दीजिए ।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए ।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं ।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर भी उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरे दें

हस्ताक्षर.....

नाम

पद:

हेमन्त सिंह
अन्वेषक

250

:: फार्म ::

दिसम्बर 2019

(99)

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2019

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो : योगराज कोसे, सहा.श्रेणी I, तृतीय श्रेणी
 2. वर्तमान धारित पद: सहायक श्रेणी I
 3. वर्तमान वेतन 44,800/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख : जुलाई 2020

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरोद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
भोपाल	गृह भवन	No	20,00,000	स्वयं	कृय किया गया मई 2007	नहीं	-

* जहां लागू न हो काट दीजिए ।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए ।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं ।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर भी उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरे दें

हस्ताक्षर.....

नाम योगराज कोसे

पद: सहा. श्रेणी I

राज्य योजना आयोग
210/570

:: फार्म ::
प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2019

10

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो :
2. वर्तमान धारित पद:
3. वर्तमान वेतन

विशेषज्ञ
दूमना इजलासिया लोखापाल

अगली वेतनवृद्धि की तारीख :


उस जिले, उप सभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खरं, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक

* जहां लागू न हो काट दीजिए ।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगाने का मूल्य बतलाया जाए ।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं ।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें यह उक्त सम्पत्ति का मालिकत्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर भी उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें

हस्ताक्षर 
नाम Hemant Ajaniya
पद : लोखापाल

250

:: फार्म ::

दिसम्बर 2019.

(11) (12)

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2019

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो ~~बलवन्त सिंह विज~~
2. वर्तमान धारित पद: सहायक जे.पी.-II
3. वर्तमान वेतन 43000/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख: 10-7-2020.

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खरोद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
शुद्धि गृह निष्ठा गृह सामाजिक सेवा मील शिबिर राज्य सेवा तह. इज्जत	20x40= 800 वर्ग फीट	आवस्य	20,000/-	स्वयं	रा. भा. वि. वि. इय. काम. सेवा से प्राप्त किया व्या. 25-9-1990	- जिला	गृह मंत्रालय आ. 447.700/1990 फे. 10-8-1994

- * जहां लागू न हो काट दीजिए ।
- ** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए ।
- *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं ।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर भी उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरे दें

हस्ताक्षर.....
नाम बलवन्त सिंह विज
पद: सहायक जे.पी.-II

:: फार्म ::

दिसम्बर

(12) (12)

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2019

श.स. 2019-20 वासुकी प.स.

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो : श.स. 2019-20 वासुकी प.स.
2. वर्तमान धारित पद : श.स. 2019-20 वासुकी प.स.
3. वर्तमान वेतन 473000/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख : 01/01/2020

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरोद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1. ज.स. 2019-20 वासुकी प.स. 2. ज.स. 2019-20 वासुकी प.स. 3. ज.स. 2019-20 वासुकी प.स. 4. ज.स. 2019-20 वासुकी प.स. 5. ज.स. 2019-20 वासुकी प.स. 6. ज.स. 2019-20 वासुकी प.स. 7. ज.स. 2019-20 वासुकी प.स. 8. ज.स. 2019-20 वासुकी प.स. 9. ज.स. 2019-20 वासुकी प.स. 10. ज.स. 2019-20 वासुकी प.स. 11. ज.स. 2019-20 वासुकी प.स. 12. ज.स. 2019-20 वासुकी प.स. 13. ज.स. 2019-20 वासुकी प.स. 14. ज.स. 2019-20 वासुकी प.स. 15. ज.स. 2019-20 वासुकी प.स. 16. ज.स. 2019-20 वासुकी प.स. 17. ज.स. 2019-20 वासुकी प.स. 18. ज.स. 2019-20 वासुकी प.स. 19. ज.स. 2019-20 वासुकी प.स. 20. ज.स. 2019-20 वासुकी प.स. 21. ज.स. 2019-20 वासुकी प.स. 22. ज.स. 2019-20 वासुकी प.स. 23. ज.स. 2019-20 वासुकी प.स. 24. ज.स. 2019-20 वासुकी प.स. 25. ज.स. 2019-20 वासुकी प.स. 26. ज.स. 2019-20 वासुकी प.स. 27. ज.स. 2019-20 वासुकी प.स. 28. ज.स. 2019-20 वासुकी प.स. 29. ज.स. 2019-20 वासुकी प.स. 30. ज.स. 2019-20 वासुकी प.स. 31. ज.स. 2019-20 वासुकी प.स. 32. ज.स. 2019-20 वासुकी प.स. 33. ज.स. 2019-20 वासुकी प.स. 34. ज.स. 2019-20 वासुकी प.स. 35. ज.स. 2019-20 वासुकी प.स. 36. ज.स. 2019-20 वासुकी प.स. 37. ज.स. 2019-20 वासुकी प.स. 38. ज.स. 2019-20 वासुकी प.स. 39. ज.स. 2019-20 वासुकी प.स. 40. ज.स. 2019-20 वासुकी प.स. 41. ज.स. 2019-20 वासुकी प.स. 42. ज.स. 2019-20 वासुकी प.स. 43. ज.स. 2019-20 वासुकी प.स. 44. ज.स. 2019-20 वासुकी प.स. 45. ज.स. 2019-20 वासुकी प.स. 46. ज.स. 2019-20 वासुकी प.स. 47. ज.स. 2019-20 वासुकी प.स. 48. ज.स. 2019-20 वासुकी प.स. 49. ज.स. 2019-20 वासुकी प.स. 50. ज.स. 2019-20 वासुकी प.स. 51. ज.स. 2019-20 वासुकी प.स. 52. ज.स. 2019-20 वासुकी प.स. 53. ज.स. 2019-20 वासुकी प.स. 54. ज.स. 2019-20 वासुकी प.स. 55. ज.स. 2019-20 वासुकी प.स. 56. ज.स. 2019-20 वासुकी प.स. 57. ज.स. 2019-20 वासुकी प.स. 58. ज.स. 2019-20 वासुकी प.स. 59. ज.स. 2019-20 वासुकी प.स. 60. ज.स. 2019-20 वासुकी प.स. 61. ज.स. 2019-20 वासुकी प.स. 62. ज.स. 2019-20 वासुकी प.स. 63. ज.स. 2019-20 वासुकी प.स. 64. ज.स. 2019-20 वासुकी प.स. 65. ज.स. 2019-20 वासुकी प.स. 66. ज.स. 2019-20 वासुकी प.स. 67. ज.स. 2019-20 वासुकी प.स. 68. ज.स. 2019-20 वासुकी प.स. 69. ज.स. 2019-20 वासुकी प.स. 70. ज.स. 2019-20 वासुकी प.स. 71. ज.स. 2019-20 वासुकी प.स. 72. ज.स. 2019-20 वासुकी प.स. 73. ज.स. 2019-20 वासुकी प.स. 74. ज.स. 2019-20 वासुकी प.स. 75. ज.स. 2019-20 वासुकी प.स. 76. ज.स. 2019-20 वासुकी प.स. 77. ज.स. 2019-20 वासुकी प.स. 78. ज.स. 2019-20 वासुकी प.स. 79. ज.स. 2019-20 वासुकी प.स. 80. ज.स. 2019-20 वासुकी प.स. 81. ज.स. 2019-20 वासुकी प.स. 82. ज.स. 2019-20 वासुकी प.स. 83. ज.स. 2019-20 वासुकी प.स. 84. ज.स. 2019-20 वासुकी प.स. 85. ज.स. 2019-20 वासुकी प.स. 86. ज.स. 2019-20 वासुकी प.स. 87. ज.स. 2019-20 वासुकी प.स. 88. ज.स. 2019-20 वासुकी प.स. 89. ज.स. 2019-20 वासुकी प.स. 90. ज.स. 2019-20 वासुकी प.स. 91. ज.स. 2019-20 वासुकी प.स. 92. ज.स. 2019-20 वासुकी प.स. 93. ज.स. 2019-20 वासुकी प.स. 94. ज.स. 2019-20 वासुकी प.स. 95. ज.स. 2019-20 वासुकी प.स. 96. ज.स. 2019-20 वासुकी प.स. 97. ज.स. 2019-20 वासुकी प.स. 98. ज.स. 2019-20 वासुकी प.स. 99. ज.स. 2019-20 वासुकी प.स. 100. ज.स. 2019-20 वासुकी प.स.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	गृह	1538 कर्गडर	लगभग 45 लाख	स्वयंकेनाम पर धारित है उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	खरोद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	शून्य	
	घर	908 कर्गडर	लगभग 2.5 लाख	स्वयंकेनाम पर धारित है उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	खरोद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	शून्य	

- * जहां लागू न हो काट दीजिए ।
- ** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए ।
- *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं ।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम 1969 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर भी उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरे दें

हस्ताक्षर Rakshida al...
 नाम श.स. 2019-20 वासुकी प.स.
 पद : श.स. 2019-20 वासुकी प.स.

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2019

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो : रघुवीर राम
2. वर्तमान धारित पद: स्टाफ श्रेणी
3. वर्तमान वेतन 43200 (7th Pay) अगली वेतनवृद्धि की तारीख : 01/04/2019


उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरोद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
① सिता, भावाल, तारकनी-इजूर, ग्राम-नीलबद	① प्लॉट, ग्राम-नीलबद, भावाल 1200 Sq. Ft.	निरंक	निरंक ₹,00,000/- प्लॉट कामत	निरंक स्वयं के नाम पर	निरंक	निरंक	
② ग्राम-हिनातीया, कोलार, भावाल	② 800 Sq. Ft. प्लॉट	निरंक	लगभग 9,00,000/- गृह (बंदोबस्तान)	निरंक स्वयं के नाम पर	निरंक	निरंक	

* जहां लागू न हो काट दीजिए ।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए ।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं ।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर भी उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरे दें

हस्ताक्षर: 
नाम: रघुवीर राम
पद: मुख्य श्रेणी-2
27.11.19

(K)

15

फार्म

अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 2019

अचल संपत्ति-III

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो अचल संपत्ति 2. वर्तमान धारित पद अचल संपत्ति-III
 3. वर्तमान वेतन 19500/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख 01-07-2020

उस लिये, उप संपत्ति का नाम तथा संपत्ति स्थित को।	संपत्ति का नाम तथा स्थिति		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइए कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विपत्त, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गयी हो उसका नाम तथा ब्यौरे	संपत्ति से वार्षिक आय	अभिप्रेक्षित
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1) B-011 Project अचल संपत्ति अचल संपत्ति अचल संपत्ति अचल संपत्ति	(2) प्लॉट खोला खोला 1.90 प्लॉट	(3) 1.50 प्लॉट	(4) 160000 प्लॉट 300000 1.90 अचल संपत्ति अचल संपत्ति	(5) प्लॉट प्लॉट	(6) खरीद अचल संपत्ति, बी.पी.ए. अचल संपत्ति प्लॉट अचल संपत्ति अचल संपत्ति अचल संपत्ति	(7) NPL	(8)

हस्ताक्षर [Signature]
 नाम अचल संपत्ति
 पद अचल संपत्ति
 विभाग अचल संपत्ति
अचल संपत्ति
अचल संपत्ति

* जहाँ लागू न हो काट दीजिए।
 ** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
 * इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी: मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आवण) नियम, 1959 के नियम 10(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक संवत् से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बढाव महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषण-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वाभिमूल्य की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विपत्त में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित सम्पत्ति अचल संपत्ति के ब्यौरे दें।

250

:: फार्म ::

दिसम्बर 2019

15

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2019

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो : गीता कुशवाहा
2. वर्तमान धारित पद : स्टाफ - 3
3. वर्तमान वेतन 29400 अगली वेतनवृद्धि की तारीख : 1-7-2020

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरोद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरे	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
भाबरल	गृह भवन 143 हरीनागर नीलवास भोवाल	-	15 लाख	-	पारिवारिक धारित शुद्ध 42	-	-

- * जहां लागू न हो काट दीजिए ।
- ** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए ।
- *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं ।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर भी उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरे दें

हस्ताक्षर..... 67
 नाम गीता कुशवाहा
 पद : स्टाफ - 3

15

250

:: फार्म ::

दिसम्बर 2019.

16

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2019

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो : केशव पंथारी
2. वर्तमान धारित पद: एडीएच 1007-3
3. वर्तमान वेतन 20700+DA अगली वेतनवृद्धि की तारीख :

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खरोद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
निक	—		निक	—		निक	

* जहां लागू न हो काट दीजिए ।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए ।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं ।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर भी उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरे दें

हस्ताक्षर.....
 नाम केशव पंथारी
 पद: एडीएच 1007-3

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2019

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो : रवि सोनी, सहायक श्रेणी-3
2. वर्तमान धारित पद: सहायक श्रेणी-3
3. वर्तमान वेतन 20700+10% अगली वेतनवृद्धि की तारीख :

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खरोद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
निरंक							

* जहां लागू न हो काट दीजिए ।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए ।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं ।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर भी उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरे दें

हस्ताक्षर Ravi

नाम रवि सोनी

पद: सहायक श्रेणी-3

फार्म

अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 2019

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह है श्री जी. पी. का 2. वर्तमान धारित पर आयन चालक
 3. वर्तमान वेतन 21,300/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख 1-1-2020

उस जिले, उप संभाग, जिले का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो।	संपत्ति का नाम तथा खोरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उत्पत्ति प्रकार अर्जित किया गया ***लरीट, पट्टा, बंधक, डिपॉजिट, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जित की तारीख और जिससे अर्जित की गयी हो उसका नाम तथा खोरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1) / 2	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				श्री का			

हस्ताक्षर Shri Poo
 नाम श्री जी. पी. का
 पद आयन चालक
 विभाग राजप्रीतिना कर्मिणी

- * जहाँ लागू न हो काट दीजिए।
- ** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
- * इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
- * मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आयन) नियम, 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक संदल से वह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बढाई सहित की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विपणन में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के बारे में दे।

250

:: फार्म ::

दिसम्बर 2019.

100

27

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2019

1. अधिकारी / कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो : मोतीलाल व्यास
2. वर्तमान धारित पद : दफ्तरी
3. वर्तमान वेतन ₹ 36300/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख : जुलाई 2020

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरोद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
मोपाल	गृह 92, काला 21 का के 11-13 लेनर का जाव मोपाल	भूमि काला	15,000,000	यह पद - फर्नी के नाम से	मोतीलाल व्यास श्री. मोतीलाल व्यास (मोतीलाल)	-	-

- * जहां लागू न हो काट दीजिए ।
- ** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए ।
- *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं ।

टिप्पणी : मध्य प्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर भी उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरे दें

हस्ताक्षर.....
 नाम मोतीलाल व्यास
 पद : दफ्तरी
 27/12/19

:: फार्म ::
प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, 2018

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो : रामलाल
 2. वर्तमान धारित पद: मृत्यु
 3. वर्तमान वेतन 33200 अगली वेतनवृद्धि की तारीख : 1-7-2019

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खर, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

- * जहां लागू न हो काट दीजिए ।
 ** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए ।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं ।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें यह उपाय-व्यवस्था का विवरण तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर भी उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरे दें

हस्ताक्षर: रामलाल
 नाम: रामलाल
 पद: मृत्यु

250

:: फार्म ::

दिसम्बर 2019.

20

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2019

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो : श्री एन.ए. राना
 2. वर्तमान धारित पद: ग्रेड 4
 3. वर्तमान वेतन 35600+DA अगली वेतनवृद्धि की तारीख : 1/7/2020

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरोद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
मोपाल	देवेंद्र म. मनार H-123 शिवपुर मोपाल मोपाल मोपाल	-	30 मीटर	-	खरोद श्री एन.ए. राना 1/7/2020	-	-

* जहां लागू न हो काट दीजिए ।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए ।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं ।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पदवी नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें यह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर भी उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरे दें

हस्ताक्षर.....

नाम श्री एन.ए. राना

पद : ग्रेड 4

शिवपुर-मोपाल

250

:: फार्म ::

दिसम्बर 2019.

250

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2019

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो: पुनर सिंह
2. वर्तमान धारित पद: पुनर
3. वर्तमान वेतन 36300/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख: 01/10/2020

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरोद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
मोपल	पुनर F-139 21/10/19 पुनर पुनर	-	30 लाख	-	2019/10/19 पुनर	-	-

- * जहां लागू न हो काट दीजिए ।
- ** ऐसे मामलों में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए ।
- *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं ।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर भी उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरे दें

हस्ताक्षर पुनर सिंह
 नाम पुनर सिंह
 पद: पुनर
27/11/19

22

258

:: फार्म ::

दिसम्बर 2019.

258

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2019

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो : शिव कल्याण सेन
2. वर्तमान धारित पद: १२५५
3. वर्तमान वेतन ३३२००/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख : 1/7/2020

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरोद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
शोषात्म	१२५५ ५१२५२०५ ०५१५ २५१२ शोषात्म २५५५५५५	-	७ लाख	-	२०५ नं० अथवा ५१५ नं० अथवा	-	-

- * जहां लागू न हो काट दीजिए ।
- ** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए ।
- *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं ।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें यह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर भी उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरे दें

शिव कल्याण सेन
शिव कल्याण सेन

हस्ताक्षर.....

नाम १२५५
पद: १२५५ शोषात्म
कायादी

23

258

:: फार्म ::

दिसम्बर 2019.

21/23

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2019

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो : रकीक खान
2. वर्तमान धारित पद: ५४५
3. वर्तमान वेतन अगली वेतनवृद्धि की तारीख : १-7-2020

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरोद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
निरक							

- * जहां लागू न हो काट दीजिए ।
- ** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए ।
- *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं ।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर भी उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरे दें

हस्ताक्षर: 
 नाम: रकीक खान
 पद: ५४५

24

:: फॉर्म ::
प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, 31/07/2019

आवक क्रमांक 15
दिनांक 3/4/19

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो : श्रीकांत नाशपाण नाटल
2. वर्तमान धारित पद: श्रृंगार
3. वर्तमान वेतन 32000 अगली वेतनवृद्धि की तारीख : जुलाई 2019

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खर, पट्टा, बंधक, विरासत भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
—	—	—	—	जिरका	—	—	—

- * जहां लागू न हो काट दीजिए ।
- ** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगाने वाला मूल्य बतलाया जाए ।
- *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं ।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें यह उक्त सामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर भी उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरे दें

हस्ताक्षर श्रीकांत नाशपाण नाटल
नाम श्रीकांत नाशपाण नाटल
पद : श्रृंगार

25

250

:: फार्म ::

दिसम्बर 2019.

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2019

(25) (25)

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो : देवशराम बागडे, राज्य योजना आयोग
2. वर्तमान धारित पद: मृत्यु,
3. वर्तमान वेतन अगली वेतनवृद्धि की तारीख : 01/07/2020

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरोद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1. म.न. 1114 (216) लाहूरपुर, बागसेवनिया, बिठौर	गृह भवन	—	25,00,000/-	स्वयं के नाम पर	खरीद के आफिस लोन के माध्यम से	शिरका	
2. मन्जीदीप, रायसेन ज्वाल	शिरका	ज्वाल	3,00,000/- लोन	—	खरीद के (Loan के माध्यम से)	शिरका	

* जहां लागू न हो काट दीजिए ।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए ।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं ।

टिप्पणी : मध्य प्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर भी उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरे दें

हस्ताक्षर:

देवशराम बागडे

नाम

देवशराम बागडे

पद:

मृत

26

250

:: फार्म ::

दिसम्बर 2019

76
34

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2019

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो : जमाल अहमद
2. वर्तमान धारित पद: भूतप
3. वर्तमान वेतन 31500/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख : 1-7-2020

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खरोद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
निराक							

- * जहां लागू न हो काट दीजिए ।
- ** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए ।
- *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं ।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर भी उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरे दें

हस्ताक्षर.....
 नाम जमाल अहमद
 पद: भूतप

27

258

:: फार्म ::

दिसम्बर 2019.

Handwritten initials and numbers in a circle.

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2019

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो : वलराम
2. वर्तमान धारित पद: डीएल
3. वर्तमान वेतन 29700/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख : 1.7.2020

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरोद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
भापाल	नं. 185 पूर्वजिल के खमुरी कला पिपलानी भापाल	—	15.00 लाख	—	तिलहर लंब लान कर राहीदा	—	—

- * जहां लागू न हो काट दीजिए ।
- ** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए ।
- *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं ।

Handwritten signature

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें यह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर भी उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरे दें

हस्ताक्षर.....
नाम वलराम
पद: डीएल

Handwritten mark